रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 2014/भाद्र 28, 1936
No. 489] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2014/BHADRA 28, 1936

रक्षोपाय महानिदेशालय सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद कर
रक्षोपाय जांच की शुरूआत का नोटिस

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2014

[सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के अंतर्गत]

विषय : 400 श्रृंखला के एएसटीएम ए 240/ए 240 एम एवं समकक्ष/यूएनएस, आईएस, चाइनीज डीआईएन, जेआईएस, बीआईएस, ईएन आदि जैसे अन्य मानकों में तुलनीय विनिर्देशनों के अनुरूप सभी मार्टेन्सिटिक एवं फेरिटिक ग्रेड शामिल करके (i) 1700 एमएम एवं उससे अधिक की चौड़ाई और जेबीएस (जिन्दल ब्लेड स्टील) ग्रेड और उसके समकक्ष का अपवर्जन करते हुए क्रोमियम टाइप के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के भारत में आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच की शुरूआत।

सा.का.नि. 677(अ).—सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 5 के अंतर्गत मेरे समक्ष एक आवेदनपत्र मैसर्स जिन्दल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड, जिन्दल सेंटर, 12 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 द्वारा अपने परामर्शदाता मैसर्स टीपीएम सालिसिटर्स एंड कन्सल्टेंट्स, नई दिल्ली द्वारा 400 श्रृंखला के एएसटीएम ए 240/ए 240 एम एवं समकक्ष/यूएनएस, आईएस, चाइनीज डीआईएन, जेआईएस, बीआईएस, ईएन आदि जैसे अन्य मानकों में तुलनीय विनिर्देशनों के अनुरूप सभी मार्टेन्सिटिक एवं फेरिटिक ग्रेड शामिल करके (i) 1700 एमएम एवं उससे अधिक की चौड़ाई और जेबीएस (जिंदल ब्लेड स्टील) ग्रेड और उसके समकक्ष का अपवर्जन करते हुए जिसे एतद्पश्चात् "पीयूसी" (विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के लिए प्राप्त हुआ है जिससे कि भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के बढ़ते आयातों द्वारा इस विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को कारित की जा रही गंभीर क्षति/गंभीर क्षति की चुनौती से बचा जा सके। इस विचाराधीन उत्पाद का आयात सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की उपशीर्ष संख्या 72193112, 72193111, 72193210, 72103310, 72193410, 72193510, 72202021 और 72209021 के अंतर्गत किया जा रहा है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

2. घरेलू उद्योग : मैसर्स जिन्दल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड, जिन्दल सेंटर, 12 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 ने दावा किया है कि उनका उत्पादन देश में इस विचाराधीन उत्पादन के कुल उत्पादन का 85 प्रतिशत से अधिक बनता है और यह देश में इस विचाराधीन उत्पाद के कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा भाग है और इसलिए यह याचिका दायर करने का उसका आधार बनता है।

3. अंतर्ग्रस्त उत्पाद : 400 श्रृंखला के एएसटीएम ए 240/ए 240 एम एवं समकक्ष/ यूएनएस, आईएस, चाइनीज डीआईएन, जेआईएस, बीआईएस, ईएन आदि जैसे अन्य मानकों में तुलनीय विनिर्देशनों के अनुरूप सभी मार्टेन्सिटिक एवं फेरिटिक ग्रेड शामिल करके (i) 1700 एमएम एवं उससे अधिक की चौड़ाई और जेबीएस (जिंदल ब्लेड स्टील) ग्रेड और उसके समकक्ष का अपवर्जन करते हुए इस विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग मुख्यत: सफेद उपभोक्ता वस्तुओं, प्रसंस्कृत उपकरण, डेयरी उपकरण, आटोमोटिव संघटक, रेल कार्टस, मेट्रो कोच, आर्कीटेक्चर, भवन एवं निर्माण, आदि के लिए किया जाता है।

4. जांच की अवधि : आवदेक ने वर्तमान आवेदनपत्र के प्रयोजनार्थ चार वर्षों की अवधि के आंकड़ों पर विचार किया है। आवेदक ने वर्ष 2011-12 से 2014-15 (अप्रैल-जून, 2014 तक) तक के सभी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। चयन की गई जांच की अवधि 201-12 से 2014-15 (वार्षिकीकृत) है जो बाजार दशाओं का निर्धारण करने और रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की जांच करने के लिए एक लम्बा समय है।

5. सूचना का स्रोत : इस विचाराधीन उत्पाद के लिए (संव्यवहार) वर्ष 2011-12 से 2014-15 (अप्रैल से जून, 2014) आयात आंकड़े साइबेक्स नोएडा से लिए गए हैं और उनपर ही विश्लेषणार्थ विचार किया गया है। वर्ष 2011-12 से 2013-14 (जनवरी, 2014) तक के घरेलू आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और उनका इस विभाग द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक एक्साइज रिकार्डों के आधार पर स्थल सत्यापन किया गया है। फरवरी, 2014 से जून, 2014 तक के घरेलू आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराए गए हैं जो विधिवत सत्यापित है और उनका एक्साइज रिकार्ड के आधार पर सत्यापन किया गया है और क्षति विश्लेषण के लिए सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया गया है।

6. संवर्धित आयात (समग्र एवं संगत रूप में) : इस विचाराधीन उत्पाद का भारत में कई देशों से और मुख्यत: जापान, कोरिया, चीन, ईयू, यूएसए एवं मैक्सिको से आयात किया जा रहा है। इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों ने समग्र एवं संगत रूप से बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। वित्त वर्ष 2011-12 से 2014-15 (वार्षिकीकृत) के दौरान इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों का विवरण निम्नलिखित है :

6(क) संवर्धित आयात एवं प्रवृत्ति

2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (**जून, 2014 तक**)	2014-15 (**वार्षिकीकृत**)
64,889	87,051	87,178	25,925	103700
100	134	134	-	160

आयात जो वर्ष 2011-12 में 64889 एमटी थे, बढ़कर वर्ष 2014-15 (वार्षिकीकृत) में 103700 एमटी हो गए जो आधार वर्ष और पिछले वर्ष अर्थात 2013-14 की तुलना में समग्र रूप से और आधार वर्ष से संगत रूप में बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है।

6(ख) उत्पादन के संबंध में आयात

वर्ष 2011-13 से 2014-15 (वार्षिकीकृत) की अवधि के दौरान उत्पादन के संबंधों में आयात का बाजार प्रतिशत 81 प्रतिशत से बढ़कर 94 प्रतिशत हो गया जो निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है :

वित्त वर्ष	कुल आयात (एमटी)	अखिल भारतीय उत्पादन (एमटी)	उत्पादन के संबंध में आयात का %
2011-12	64,889	79,857	81
2012-13	87,051	97,140	90
2013-14	87,178	1,08,829	80
2014-15 (वार्षिकीकृत)	1,03,700	1,10,100	94

7. गंभीर क्षति : आवेदक ने दावा किया है कि इस विचाराधीन उत्पाद के बढ़ते आयातों के कारण इस विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों की गंभीर क्षति कारित की है और गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न कर दी है जो निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है :

(क) *उत्पादन :* यद्यपि घरेलू उद्योग का उत्पादन, जो आधार वर्ष 2011-12 में 67876 एमटी था, बढ़कर वर्ष 2014-15 (वार्षिकीकृत) में 97350 एमटी हो गया।

वर्ष	मात्रा (एमटी)	अनुक्रमित
2011-12	67,876	100
2012-13	83,240	123
2013-14	94,929	140
2014-15 (पहली तिमाही वार्षिकीकृत)	97,350	143

(ख) *घरेलू मांग में घरेलू उत्पादकों का हिस्सा :* अत्यधिक अभिनव अवधि में घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। आवेदकों का वर्ष 2011-12 में बाजार हिस्सा 45 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2014-15 (वार्षिकीकृत) में 32 प्रतिशत रह गया। उसी अवधि के दौरान आयातों का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2011-12 में 46 प्रतिशत था बढ़कर वर्ष 2014-15 (वार्षिकीकृत) में 50 प्रतिशत हो गया।

वित्त वर्ष	कुल आयात (एमटी)	घरेलू उद्योग की बिक्री (एमटी)	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री (एमटी)	कुल मांग (एमटी)	बाजार हिस्सा (%)	
					घरेलू उद्योग	आयात
2011-12	64,889	63,729	11,981	141,014	45	46
2012-13	87,051	75,391	13,900	176,827	43	49
2013-14	87,178	81,344	13,900	183,102	44	48
2014-15 (वार्षिकीकृत)	1,03,700	89,672	12,750	206,478	43	50

(ग) *बिक्री के स्तर में परिवर्तन :* घरेलू उद्योग की बिक्री जो वर्ष 2011-12 में 63729 एमटी थी, बढ़कर वर्ष 2014-15 (वार्षिकीकृत) में 89672 एमटी हो गई अर्थात् अनुक्रमित बिन्दुओं में यह वृद्धि 100 से बढ़कर 146 अनुक्रमित बिन्दु हो गई जैसाकि तालिका में दर्शाया गया है।

(घ) *लाभ/हानि :* घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में प्रपाती गिरावट उस स्थिति तक पहुंच गई कि घरेलू उद्योग को अब वित्तीय घाटा होने लगा है। यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :

वित्त वर्ष	**लाभप्रदता (रुपए/एमटी) (अनुक्रमित)**
2011-12	-100
2012-13	-315
2013-14	-953
2014-15 (पहली तिमाही)	-957

8. उत्पादकता : वर्ष 2011-12 से 2014-15 (प्रथम तिमाही) के दौरान अनुक्रमित आधार पर उत्पादकता बढ़कर वर्ष 2014-15 (प्रथम तिमाही) में 143 हो गई जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :

2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (पहली तिमाही)
(अनुक्रमित) 100	123	140	143

9. रोजगार : वर्ष 2011-12 से 2014-15 (पहली तिमाही) के दौरान, रोजगार 2445 से बढ़कर 2601 हो गया जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :

2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (पहली तिमाही)
2445	2599	2593	2601

10. क्षमता उपयोग : वर्ष 2011-2012 से 2014-15 (पहली तिमाही) के दौरान घरेलू उत्पाद का क्षमता उपयोग जो वर्ष 2011-12 में 61 प्रतिशत था घटकर वर्ष 2014-15 (वार्षिकीकृत) में 49 प्रतिशत हो गया जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :

वित्त वर्ष	**संस्थापित क्षमता (एमटी)**	**क्षमता उपयोग** (%)
2011-12	110635	61
2012-13	197979	42
2013-14	197979	48
2014-15 (**वार्षिकीकृत**)	197979	49

9. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन-पत्र में चार वर्षों की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क तत्काल अधिरोपित करने का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पादक के बढ़ते आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के निष्पादन में गंभीर गिरावट को देखते हुए अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने का अनुरोध भी किया है।

10. आवेदन की जांच की गई है और प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के बढ़ते आयातों से इस विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को क्षति हुई है या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गयी है और आयातों, में इस वृद्धि ने घरेलू उद्योग **की** अपूरणीय क्षति बढ़ गई है और तदनुसार इस नोटिस के जरिए एक जांच शुरू **करने** का निश्चय किया गया है।

11. सभी हितबद्ध पक्षकार इस नोटिस की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं:-

महानिदेशक (रक्षोपाय)
भाई वीर सिंह साहित्य सदन,
द्वितीय तल भाई वीर सिंह मार्ग,
गोल मार्केट नई दिल्ली – 110001, भारत
टेलीफेक्स :- 011-23741542/23741537
e-mail : dgsafeguards@nic.in

12. सभी हितबद्ध पक्षकारों को अलग से सम्बोधित किया जा रहा है।

13. कोई अन्य पक्षकार जो यह चाहता है कि उसे हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना जाए । अपना अनुरोध इस तरह प्रस्तुत कर सकता है जिससे कि वह इस नोटिस की तारीख से 21 दिनों के अंदर महानिदेशक (रक्षोपाय) के पास उपर्युक्त पते पर पहुंच जाए।

14. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6(7) में दी गई शर्तों के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार इस नोटिस की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

[फा. सं. डी-22011/17/2014]

आर. के. सिंगला, महानिदेशक

DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

NOTICE OF INITIATION OF A SAFEGUARD INVESTIGATION

New Delhi, the 19th September, 2014

[Under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997]

Sub: Initiation of safeguard investigation concerning imports of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel of chromium type, 400 series encompassing all Martensitic and Ferritic grades as per ASTM A 240/A240 M and equivalent/comparable specifications in other standards like UNS, IS, Chinese DIN, JIS, BIS, EN etc.", excluding (i) width 1700mm and above and (ii) JBS (Jindal Blade Steel) grade and its equivalent into India.

G.S.R. 677(E).—An application has been filed before me under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by M/s. Jindal Stainless Limited, Jindal Centre, 12 Bikaji Cama Place, New Delhi-110066 through his consultant M/s. TPM Solicitors & Consultants, New Delhi for imposition of Safeguard Duty on imports of **"**Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel of chromium type, 400 series encompassing all Martensitic and Ferritic grades as per ASTM A 240/A240 M and equivalent/ comparable specifications in other standards like UNS, IS, Chinese DIN, JIS, BIS, EN etc.", excluding (i) width 1700mm and above and (ii) JBS (Jindal Blade Steel) grade and its equivalent into India hereinafter referred to as 'PUC' (Product under consideration) into India to protect the domestic producers of 'PUC' against serious injury/threat of serious injury caused by the increased imports of 'PUC' into India. The 'PUC' is being imported falling under sub-heading 1975 under sub-headings 72193112, 72193111, 72193210, 72193310, 72193410, 72193510, 72202021 and 72209021 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations.

2. Domestic Industry: M/s. Jindal Stainless Limited, Jindal Centre, 12 Bikaji Cama Place, New Delhi-110066, claimed that his production account for more than 85% of the total production of 'PUC' in the country & represent a major proportion of the Indian production of 'PUC' in the country and thus have the standing to file the present petition.

3. Product Involved: The product under consideration is "Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel of chromium type, 400 series encompassing all Martensitic and Ferritic grades as per ASTM A 240/A240 M and equivalent/comparable specifications in other standards like UNS, IS, Chinese DIN, JIS, BIS, EN etc.", excluding (i) width 1700mm and above and (ii) JBS (Jindal Blade Steel) grade and its equivalent.

The 'PUC' are mainly used for the manufacture of white consumer goods, processed equipment, dairy equipment, automotive components, rail carts, metro coaches, architecture, building and construction, etc.

4. **Period of Investigation (POI):** The applicant for the purpose of the present application has considered the data for four years period. The applicant has submitted all the data from 2011-12 to 2014-15 (April to June 2014). The period for investigation selected is 2011-12 to 2014-15 (Annualised) which is long enough in order to take into consideration the market conditions and to ascertain the need of imposition of Safeguard Duty.

5. **Source of information:** The import data for the 'PUC' has been taken from Cybex, Noida (Transaction wise) from 2011-12 to 2014-15 (April to June 2014) and same has been taken into consideration for analysis. The domestic data from 2011-12 to 2013-14 (Till January 2014) has been submitted by the domestic industry and the same has been verified by on-site visit by the department on the basis of excise records to the extent deemed necessary. The domestic data for February 2014 to June 2014 has been provided by the DI, duly certified, which was verified on the basis of excise records and the verified data has been taken into consideration for injury analysis.

6. **Increased Imports (Absolute and in relative terms)**: 'PUC' are imported into India from a number of countries, and primarily from Japan, Korea, China, EU, USA and Mexico. The imports of 'PUC' have shown an increasing trend in absolute terms as well as in relative terms. The imports of 'PUC' during the financial year is 2011-12 to 2014-15 (Annualised) remained as under:

6 (a). Increased imports in absolute terms:

2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (upto June 2014)	2014-15 (Annualised)
64,889	87,051	87,178	25,925	103700
100	134	134	-	160

The Imports have increased from 64,889 MT in 2011-12 to 103700 MT in 2014-15 (Annualised) which shows an increasing trend both in absolute terms as compared to base year and with preceding year i.e. 2013-14 and from base year in relative terms.

6.(b) **Imports in relation to Production:**

During the period 2011-12 to 2014-15 (Annualised) the market percentage of import in relation to production has increased from 81% to 94% as evident from the following details:

Financial Year	Total Imports (MT)	All India Production (MT)	% of import with respect to production
2011-12	64,889	79,857	81
2012-13	87,051	97,140	90
2013-14	87,178	1,08,829	80
2014-15 (Annualised)	1,03,700	1,10,100	94

7. Serious Injury: The applicant have claimed that the increased imports of 'PUC' have caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producers of 'PUC' as indicated by the following factors:

(a) *Production*: The production of the domestic industry increased in 2014-15 as compared to the base year 2011-12, from 67,876 MT in 2011-12 to 97,350 MT in 2014-15 (Annualised).

YEAR	QTY(MT)	Indexed
2011-12	67,876	100
2012-13	83,240	123
2013-14	94,929	140
2014-15 (Q1 Annualised)	97,350	143

(b) *Share of domestic producers in domestic demand*: Market share of domestic producers has fallen in the most recent period. Applicants had a market share of 45% in 2011-12 which fell to 43% during 2014-15 (Annualised). During the same period, the market share of import increased from 46% in 2011-12 to 50% in 2014-15 (Annualised).

Financial Year	Total Import (MT)	Sales of DI (MT)	Sales of other Indian Producers (MT)	Total Demand (MT)	Market Share (%)	
					DI	Import
2011-12	64,889	63,729	11,981	141,014	45	46
2012-13	87,051	75,391	13,900	176,827	43	49
2013-14	87,178	81,344	13,900	183,102	44	48
2014-15 (Annualised)	1,03,700	89,672	12,750	206,478	43	50

(c) *Changes in the level of Sales* : The sales of the domestic industry increased from 63,729 MT in 2011-12 to 89,672 MT in 2014-15 (Annualised) i.e. in indexed points the increase is from 100 to 141, but during the same period the increase in demand is from 100 to 146 indexed points as shown in the above table.

(d) *Profit/loss* – The profitability of the domestic industry has steeply deteriorated to such a situation that the domestic industry is now suffering financial losses. This is shown in the table below:-

Financial Year	Profitability (Rs. /MT) (Indexed)
2011-12	-100
2012-13	-315
2013-14	-953
2014-15 (Q1)	-957

8. **Productivity**: During the period 2011-12 to 2014-15 (Q1), the productivity has increased on indexed basis to 143 in 2014-15 (Q1) as is evident from the table below:

2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (Q1)
(Indexed) 100	123	140	143

9. **Employment:** During the period 2011-12 to 2014-15 (Q1), the employment has increased from 2445 to 2601 as is evident from the table below:

2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (Q1)
2445	2599	2593	2601

10. Capacity Utilisation: During the period 2011-12 to 2014-15 (Q1), the capacity utilization of DI has decreased from 61 % in 2011-12 to 49% in 2014-15 (Annualised) as is evident from the table below:

Financial Year	Installed Capacity (MT)	Capacity Utilisation (%)
2011-12	110635	61
2012-13	197979	42
2013-14	197979	48
2014-15 (Annualised)	197979	49

9. The domestic industry has requested for immediate imposition of safeguard measures for a period of four years in their application. The domestic industry has also requested for imposition of provisional safeguard duty in view of steep deterioration in performance of the domestic industry as a result of increased imports of product under consideration.

10. The application has been examined and it has been found that prima facie increased imports of 'PUC' have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic producers of 'PUC' and accordingly, it has been decided to initiate an investigation through this notice.

11. All interested parties may make their views known within a period of 30 days from the date of this notice to:

The Director General (Safeguards)
Bhai Vir Singh Sahitya Sadan: 2nd Floor,
Bhai Vir Singh Marg,
Gole Market, New Delhi-110 001, INDIA.
Telefax: 011-23741542/ 23741537
E-mail: dgsafeguards@nic.in

12. All known interested parties are also being addressed separately.

13. Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its request so as to reach the Director General (Safeguards) on the aforementioned address within 21 days from the date of this notice.

14. In terms of Rule 6 (7) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by the other interested parties after the expiry of 30 days from the date of this notice.

[F. No. D-22011/17/2014]

R. K. SINGLA, Director General

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.